भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-842
दिनांक 04 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विद्युत पारेषण में होने वाली लाइन क्षति

842. श्री वीरेन्द्र सिंह:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विद्युत पारेषण में होने वाली लाइन क्षति का प्रतिशत तथा ऐसी हानि के प्रमुख कारण क्या हैं, इस क्षति को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में कितने गांव बिजली सुविधा से वंचित हैं, इस संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास बिजली सुविधा से वंचित इन गांवों के विद्युतीकरण की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद में बिजली सुविधा से वंचित गांवों एवं ग्राम बस्तियों का ब्यौरा क्या है तथा इनका विद्युतीकरण कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ङ) क्या सरकार की उन किसानों को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति प्रदान करने की कोई योजना है जिनकी भूमि उत्पादन केन्द्रों से आने वाली पारेषण लाइनों के मार्ग में आती है क्योंकि ऐसी भूमि पर किसान खेती के अतिरिक्त कुछ और नहीं कर सकते और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से **(घ)** : देश में पारेषण हानि लगभग 3-4% के बीच परिवर्तनीय होती है। नवंबर, 2025 में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा प्रकाशित सामान्य समीक्षा के अनुसार, देश में वर्ष 2023-24 के दौरान क्षेत्र-वार पारेषण हानि निम्नानुसार है:

क्षेत्र	**पारेषण हानियाँ (%)**
उत्तरी क्षेत्र	3.15
पश्चिमी क्षेत्र	3.12
दक्षिणी क्षेत्र	3.46
पूर्वी क्षेत्र	4.24
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	3.89

इसके अतिरिक्त, पारेषण और वितरण (टी एंड डी) हानियां जिसमें वर्ष 2023-24 के दौरान पारेषण हानियां भी शामिल हैं, लगभग 17.63% हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य-वार टी एंड डी हानियां **अनुबंध** पर है।

केंद्रीय और राज्य पारेषण यूटिलिटी प्रणाली में पारेषण हानियों को और कम करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई कर रही हैं:

- मौजूदा प्रणाली का नेटवर्क विस्तार और संवर्धन
- उच्च वोल्टेज प्रणाली को अपनाना
- वोल्टेज प्रोफ़ाइल में सुधार और नुकसान को कम करने के लिए प्रतिक्रियाशील विद्युत प्रबंधन और बेहतर प्रचालन प्रथाएं
- पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (एससीएडीए) और ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) के उपयोग सहित पारेषण प्रणाली का आधुनिकीकरण

भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडी), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) आदि जैसी योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को पूरक बनाया है, ताकि उन्हें सभी परिवारों को गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद मिल सके। जैसा कि राज्यों द्वारा सूचित किया गया है, देश के सभी बसे हुए गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों का विद्युतीकरण किया गया है और सभी इच्छुक घरों का विद्युतीकरण पूरा हो गया है। डीडीयूजीजेवाई के दौरान कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया। सौभाग्य के दौरान कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया। दोनों स्कीम दिनांक 31.03.2022 को बंद हो चुकी हैं।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार अब चल रही संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत गैर-विद्युतीकृत परिवारों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए राज्यों का समर्थन कर रही है। जहां भी व्यवहार्य पाया गया वहाँ पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान) के अंतर्गत पहचाने गए विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह (पीवीटीजी) से संबंधित परिवारों और डीए-जेजीयूए (भारती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान) के अंतर्गत आदिवासियों से संबंधित परिवारों के ऑन-ग्रिड विद्युतीकरण के लिए कार्य आरडीएसएस के अंतर्गत योजना दिशानिर्देशों के अनुसार स्वीकृत किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य में आरडीएसएस के अंतर्गत स्वीकृत परिवारों और उनके विद्युतीकरण की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**आरडीएसएस के विभिन्न प्रमुख**	**घर**	
		स्वीकृत	**प्रगति**
1.	अतिरिक्त घर	251487	1317
2.	पीएम-जनमन	316	195
3.	डीए-जेजीयूए	6897	58
कुल		258700	1570

डिस्कॉम की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के सभी गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। तथापि, सर्वेक्षण के बाद, आरडीएसएस के अंतर्गत आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों में निम्नलिखित घरों को लिया गया था और उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से संबंधित विवरण निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	**आरडीएसएस के विभिन्न प्रमुख**	**घर**	
		स्वीकृत	**प्रगति**
1.	अतिरिक्त घर	645	68
2.	डीए-जेजीयूए	285	00
कुल		930	68

(ङ) : विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार, पारेषण लाइन बिछाने के लिए भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाता है, और भूमि का स्वामित्व जिस पर पारेषण लाइन गुजरती है, भूस्वामी के पास बना रहता है। पारेषण कार्यों के निष्पादन के दौरान हुई किसी भी क्षति के लिए मुआवजा संबंधित राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रदान किया जाता है।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 842

अनुबंध

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य-वार टीएंडडी हानियां

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	% में टी एंड डी हानियां
चंडीगढ़	13.83
दिल्ली	15.13
हरियाणा	17.96
हिमाचल	15.63
संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	48.08
पंजाब	14.03
राजस्थान	22.85
उत्तर प्रदेश	19.02
उत्तराखंड	18.31
छत्तीसगढ़	17.04
गुजरात	12.84
मध्य प्रदेश	22.85
महाराष्ट्र	15.38
दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	10.75
गोवा	10.48
आंध्र प्रदेश	15.59
तेलंगाना	12.92
कर्नाटक	17.33
केरल	15.55
तमिलनाडु	17.71
पुडुचेरी	14.12
लक्षद्वीप	15.44
बिहार	21.54
झारखंड	19.27
ओडिशा	21.26
पश्चिम बंगाल	17.18
सिक्किम	24.16
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	17.55
अरुणाचल प्रदेश	34.28
असम	17.60
मणिपुर	19.43
मेघालय	20.63
मिजोरम	22.65
नागालैंड	19.41
त्रिपुरा	28.70
अखिल भारत	17.63

****